

**ग्राम पंचायत नन्दरुल, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के
लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01-04-2013 से 31-03-2016**

भाग-एक

- 1 (क) प्रस्तावना :- ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत नन्दरुल, विकास खण्ड काँगड़ा , जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 से 3/16 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति राज अंगारिया	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्रीमति स्नेह लता	23-01-16 से लगातार

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री इन्द्राज सिंह	2009 से 02-02-14
2.	श्री संतोष कुमार	03-02-14 से 12-02-15
3.	श्री जोगिन्द्र प्रकाश	13-02-15 से 28-05-15
4.	श्री दलजीत सिंह	29-05-15 से 27-10-15
5.	श्री सुरेन्द्र कुमार	28-10-15 से 14-07-16

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {लाखों में}
3.	7	अनुदान राशियों का अवरोधन।	14.17
4.	8	बिल/वाउचर न प्रस्तुत करने बारे।	0.11
5.	9	औपचारिकता के बिना खरीद करने बारे।	0.52
6.	10	सीमेंट व निर्माण सामग्री का भण्डारण न करना।	1.03

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत नन्दरुल , विकास खण्ड काँगड़ा , तहसील व जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2013 से 31/03/2016 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 27-07-2016 से 01-08-2016 तक के दौरान पंचायत कार्यालय नन्दरुल में किया गया । आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 09/13, 09/14 व 08/15 तथा व्यय की विस्तृत जाच के लिए माह 01/14, 07/14 व 09/15 को चयनित किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना / अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत नन्दरुल , विकास खण्ड काँगड़ा , जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 से 3/16 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000/- बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क ₹5000/- को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 143 दिनांक 01-08-16 द्वारा सचिव, पंचायत नन्दरुल से अनुरोध किया गया ।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत नन्दरुल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{1} स्व स्रोत :- ग्राम पंचायत नन्दरुल के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्व स्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	187374	30283	2176 57	21122	196535
2014-15	196535	27221	223756	44649	179107
2015-16	179107	11747	190854	44024	146830

31.03.16 को अन्त शेष का विवरण :-

(क) बचत खाता संख्या: 20033074339 के.सी.सी.काँगड़ा में जमा राशि :- 146776

(ख) हस्तगत राशि:- 54

कुल जोड़ :- ₹146830

{2} अनुदान :-ग्राम पंचायत नन्दरूल के अवधि 4/13 से 3/16 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण सलग्न “परिशिष्ट -1” में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	305914	6562446	6868360	6514694	353666
2014-15	353666	5014023	5367689	4739434	628255
2015-16	628255	4480195	5108450	3691152	1417298

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं०	बैंक का नाम	खाता संख्या	अनुदान का नाम	जमा राशि
1.	KCKCC Kangra KANGRA	50053932360	13th,14thF.C/ZP,	767007
2.	KCKCC Kangra	20033022596	3rd state/13FC	417152
3.	KCKCC Kangra	50055622051	AAY	20514
4.	KCKCC Kangra	50055622006	IAY	11731
5.	IDBIIDBIIDBI Kangra KANGRA	11591040000116 71	RAY	46320
6.	KCKCKCC Kangra KANGRA	50055621896	TSC	37725
7.	KCKCKCC Kangra KANGRA	50054872126	SDP/VKVNY	109896
8.	CANARACHa uarCanara Bank Nandrool BANK NANDROOL	4607101000110	MMGPY	6953
9.	KCKCKCC Kangra KANGRA	20116021737	MNREGA	0
			बैंक में कुल जमा राशि	₹1417298

31-03-16 अन्त शेष का विवरण :-

- (क) दिनांक 31-3-16 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (1+2):- ₹1417298
- (ख) दिनांक 31-3-16 को बैंक में कुल जमा राशि :- ₹1417298

5 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जायेगा। यह खाता पंचायत निधि खाता-क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह, नियम-3 में सहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और प्राप्त ऋण हेतु पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता-“ख” जाना जायेगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्रोत की व अनुदानों के लिए दस रोकड़ बही व दस बैंक खातों का रख रखाव किया गया है जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता -क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.1 नियमों के विरुद्ध दस बैंक बचत खातों का खोला जाना :-

हि०प्र० प्रदेश पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) अनुसार पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता “क” में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता “ख” में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है, परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4(1) के अनुसार नौ बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरुद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन सात अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये।

5.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified Abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार रजिस्टर का एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार रजिस्टर तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6 ग्रह-कर व अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के मांग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में स्व स्रोत , ग्रहकर, इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित मांग व प्राप्ति रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जाँच में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके आभाव में ग्रह -कर व अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर मामला है। अतःपंचायत राजस्व से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

6.1 ग्रह-कर के रूप में वसूली ₹25/- कम जमा करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान आय की नमूना जाँच में पाया गया रसीद संख्या 77437 से 77500 का कुल जोड़ ₹4250 बनता है परन्तु केवल ₹4225 ही जमा किए गए इस प्रकार ₹25 कम जमा किए गए जिसे दोषी से वसूल कर स्व -स्रोत निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

7 अनुदान ₹14.17 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना {परिशिष्ट-1} के अनुसार दिनांक 31-03-16 तक अनुदान ₹14.17 लाख उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था ,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :140 दिनांक 01-08-16 द्वारा सचिव , ग्राम पंचायत नन्दरूल को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत नन्दरूल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापन सम्बन्धित संस्था को किया जाए ।

8 ₹0.11 लाख के बिल/वाउचर न प्रस्तुत करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में “परिशिष्ट-2” के अनुसार बिल व वाउचर अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए जिसके अभाव में भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹10636 की वसूली उचित स्रोत से की जाए।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.52 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे , सकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि “परिशिष्ट-3” में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹ 0.52 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया । जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या :141 दिनांक 01-08-16 द्वारा सचिव , ग्राम पंचायत नन्दरुल को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत नन्दरुल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

10 क्रय की गई ₹ 1.03 लाख सीमेंट व निर्माण सामग्री का भण्डारण, भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना है। परन्तु पंचायत के अवधि 04/13 से 3/16 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा “परिशिष्ट-4” पर ₹1.03 लाख की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया है । जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :141 दिनांक 01-08-16 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत नन्दरुल को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत नन्दरुल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

11 विहित रजिस्ट्रों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे , सकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों /अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था , जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या : -142 दिनांक 01-08-16 द्वारा सचिव , ग्राम पंचायत नन्दरुल को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत नन्दरुल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

क्र० सं०	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म सं०	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12 (1)
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित रजिस्टर	31	95 (1)

4.	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
6.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
8.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
9.	स्थायी व अस्थायी भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

12 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 विविध अनियमितताएं :-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

14 लघु-आपति विवरणिका:- लघु आपतियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

15 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(2) 14/2016-खण्ड-1-5354-5356 दिनांक: 06.10.2016
शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत नन्दरुल, विकास खण्ड काँगड़ा, तहसील व जिला काँगड़ा (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

- 3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा, तहसील व जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

